

अनुमंडल कार्यालय, चकिया, पूर्वी चम्पारण।

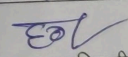
प्रपत्र-7

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत धारा 3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अंतर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति का प्रमाण पत्र

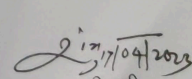
एकमात्र अधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अंतर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्पत्तिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि की विवरणी :-

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	रैयत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या/थाना	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा	चौहद्दी	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	सम्पत्तिवर्तन के उपरांत देय वार्षिक लगान/सेस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	चकिया	केसरिया	कृष्णनंदन मिश्र	खिजिरपुरा	244	249, 258, 257, 88, 278, 33, 103, 248, 172, 277, 208, 119, 184, 249, 218, 80, 155	4229, 4224, 4265, 4263, 4266, 4219, 4255, 4288, 4253, 4251, 4252, 4275, 4254, 4247, 4248, 4220, 4230, 4225, 4226, 4227	1168.563 डी0	उ0-विरकुट राय द0-शशि सिंह वगैरह पू0-महिन्द्र राय वगैरह प0-सड़क	व्यवसायिक	16125=00 सोलह हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र/-


अनुमंडल पदाधिकारी,
चकिया, पूर्वी चम्पारण।

ज्ञापांक- 265 / दिनांक- 24/04/2023 /
प्रतिलिपि:- श्री कृष्णनंदन मिश्र, पिता-ब्रजमोहन मिश्र, सा0-तलगौडा, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी, केसरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
चकिया, पूर्वी चम्पारण।